इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 31484-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१६.

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा ३३ में, उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कालन स्थापित किया जाए और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में स्नातक उपाधि रखता हो तथा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो तथा जिसने सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा शासकीय क्षेत्र में पदस्थ हो, प्रशिक्षण की सीमा तक, आधुनिक वैज्ञानिक औषध, जो कि "एलोपैथी" के नाम से भी जानी जाती है तथा ऐसी अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं करने का भी पात्र होगा तथा चिकित्सा की एलोपैथी पद्धति की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं अथवा केन्द्रों में पदस्थ किए जाने का भी पात्र होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं और केन्द्रों में एमबीबीएस उपाधि रखने वाले चिकित्सा व्यवसाइयों की कमी को दृष्टि में रखते हुए, यह विनिश्चित किया गया है कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा व्यवसाइयों को, आधुनिक वैज्ञानिक औषध अर्थात् एलोपेथी में प्रशिक्षण देने के पश्चात् ऐसी स्वास्थ्य संस्थाओं और केन्द्रों में पदस्थ किया जाए और उनके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण की सीमा तक आधुनिक वैज्ञानिक औषध में व्यवसाय करने के लिए उन्हें अनुज्ञात किया जाए. अतएव, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१), की धारा ३३ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ५ दिसम्बर, २०१६

रुस्तम सिंह
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 509] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. 19404-297-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 27 OF 2016

THE MADHYA PRADESH AYURVEDIC, UNANI TATHA PRAKRITIC CHIKITSA VYAVASAYI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2016

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 33.

2. In Section 33 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), in sub-section (4), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that a person possessing a degree in Ayurvedic system or Unani system and registered with the Board and have undergone training specified by the Government, from time to time, and posted in Government sector shall also be eligible to practice modern scientific medicine which is also known as "allopathy" and such other medical procedures to the extent of training, and shall also be eligible to be posted in the Government health institutions or centers of allopathic system of medicine.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of shortage of medical practitioners having MBBS degree in various health institutions and centers of the State, it has been decided to post Ayurvedic and Unani Medical Officers posted in such health institutions and centers after giving them training in modern scientific medicine i.e. Allopathy and to allow them to practice modern scientific medicine to the extent of training received by them. Therefore, Section 33 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971) is proposed to be amended suitably.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
Dated, the 5th December, 2016.

RUSTAM SINGH
Member-in-Charge.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.